कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 851 /11–सी–FP/UP/Road/152381/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 05 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद आगरा में चंदौसी–आगरा–तांतपुर कोट मार्ग (एस0एच0–39) के किमी0 0.236 के चैनेज–235.030 ग्राम रैना नगर, तहसील खेरागढ़ एवं किमी0 संख्या 245 के चैनेज–244.010 ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ़ पर निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तार्गत राज्य मार्ग संख्या–39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.408 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 **FP/UP/Road/152381/2022**)

संदर्भ– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/143/2022/एफ0सी0/273, दि0–20.07.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा के पत्रांक–1052/14–1 दि0 04.09.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा उपलब्ध कराये गये बिन्दुवार वॉछित सूचना/अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–851 /11–सी FP/UP/Road/152381/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

01(